न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–150/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–309/23
अभिषेक कुमार एवं अन्य – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. अभिषेक कुमार, 2. धर्मेन्द्र साह उर्फ धर्मेन्द्र कुमार एवं 3. बिरजू कुमार** की ओर से अलौली थाना काण्ड सं0–309/23, धारा–341, 323, 307, 504, 354, 506, 509/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(v) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री गजाधर कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया है। पुकार पर आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध धारा–341, 323, 504, 354, 506, 509/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसमें धारा–354 भा0दं0वि0 एव SC/ST अधिनियम को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है तथा उक्त धारा आवेदकगण के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है। आवेदकगण पर विशिष्ट आरोप नहीं है तथा वे पुलिस जमानत पर हैं। आवेदकगण को इस मामले में द्वेष, दुर्भावना एवं ग्रामीण राजनीति के तहत झूठा फंसाया है। आवेदकगण मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिये जाने का निवेदन करते हैं।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–150/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–309/23

लगातार
13.03.2026

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचिका के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.06.23 को सूचक अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था। इसी बीच, आवेदकगण और अन्य लोगों ने सूचक को घेर लिया और उसकी जाति का नाम लेकर उसे गालियां दी, उन्होंने सूचक से कहा कि वह आम के पेड़ को न छुए, क्योंकि अगर वह पेड़ को छुएगा, तो पेड़ अपवित्र हो जाएगा। जब सूचक ने इसका विरोध किया, तो अभियुक्तों ने उसे गालियां दीं, उस पर हमला किया और उसके मुँह पर थूका। अभियुक्त ललित साह ने सूचक के सिर पर दबिया (एक तरह का धारदार औजार) से हमला किया, जिससे उसे चोट लगी। अभियुक्त सुशील यादव और सावन कुमार ने लाठी से हमला किया। अभियुक्त अभिषेक और नीतीश ने थ्रीनट के बट (बंदूक के पिछले हिस्से) से हमला किया। अभियुक्त बिरजू ने बेल्ट से हमला किया। जब सूचक की भाभी उसे बचाने आईं, तो अभियुक्त ललित साह ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और उन पर भी हमला किया। सूचक की चाची उसे बचाने आईं, तो अभियुक्त अभिषेक ने उन पर थ्रीनट तान दिया और उनके सोने के झुमके छीन लिया। जब सूचक की मौसी उसे बचाने आईं, तो अभियुक्त नीतीश ने उन्हें घूंसे और थप्पड़ मारा और उनकी सोने की चकती (कान का आभूषण) छीन लिया। अभियुक्त अभिषेक और नीतीश ने सूचक को धमकी दी कि अगर उसने इस मामले की शिकायत (केस) दर्ज कराई, तो वे उसे जान से मार देंगे।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2025 के आलोक में अन्तर्गत धारा–341, 323, 504, 354, 506, 509/34 भा0दं0वि0 एवं 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST अधिनियम

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–150/2026
अलौली थाना काण्ड सं0–309/23

लगातार
13.03.2026

के तहत अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–21 के अनुसार, आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूर्व में अन्य सह–अभियुक्तों सुशील कुमार, ललित साह एवं नीतिश कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। आवेदकगण आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये हैं, ऐसी दशा में उन्हें Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–1,000–1,000/–(एक–एक हजार) रूपये प्रत्येक के द्वारा Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ,** मो0–10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।